

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25102023-249668
SG-DL-E-25102023-249668असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 265
No. 26]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945	[N. C. T. D. No. 265

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

सं.429/ईसीआई/डीईएल/2023(1).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के आदेश सं.एफ.2(17)/आरआर/2010/एस-IV/1571-1579, दिनांक 27.04.2017 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के डीएएसएस संवर्ग के पदों के नामकरण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित आयोग की दिनांक 12 जून, 2008 की अधिसूचना सं. 429/डीएल-एलए/2008(1) को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित तालिका की क्रम सं. 1 से 70 के सामने तालिका के स्तंभ (2) में वर्तमान प्रविष्टि “अधीक्षक, वीआरईसी” के स्थान पर “अनुभाग अधिकारी, वीआरईसी” पढ़ा जाएगा।

आदेश से,
अजय कुमार, प्रधान सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th October, 2023

No.429/ECI/DEL/2023(1).—Consequent to the change in nomenclature of DASS Cadre Posts in GNCTD vide order no. F.2(17)/RR/2010/S-IV/1571-1579 dated 27.04.2017 of the Government of National Capital Territory of Delhi, the Commission's notification No. 429/DL-LA/2008(1), dated 12th June 2008 relating to the appointment of Assistant Electoral Registration Officer to assist the Electoral Registration officer of the Assembly Constituency in the National Capital Territory of Delhi stands modified to the extent that the existing entry "Superintendent in VREC" in Column [2] against Sl. No. 01 to 70 of the Table thereof pertaining to all 70 Assembly Constituencies, shall be read as "Section Officer in VREC".

By Order,

AJOY KUMAR, Principal Secy.